

CX-30/9/85

## The Gazette of India

## शाधिकार से श्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 0 32

नई बिस्सी, शनिवार, अगस्त 10, 1985/आयण 19, 1907

No. 32]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 10, 1985/SRAVANA 19, 1907 '

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह मजग संज्ञलन के क्य में रखा जा सकी Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate complication

भाग II—चण्ड ३—उप-चण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा संज्ञालय को छोड़कर) भारत सरकार के संज्ञालयों भीर (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए भीर जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आवेश, उपनियम आधि सम्मिलित हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कामिक और प्रशिक्षण प्रशासनिक सुधार और लोक णिकायत तथा पेंजन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रणिक्षण विभाग)

नर्ड दिल्ली, 29 जुलाई, 1985

का॰ सा॰ नि॰ ७४६- - राष्ट्रपति, संविधान के अनुष्केद 309 के परस्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंक्षण और अपील) नियम, 1965 का और मणांधन करने के लिये निस्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थीत् :--

- (1) इन निवमों का शक्षिप्त नाम केस्द्रीय मिविल सेवा (अर्गीकरण नियंत्रण और अपील) संगोधन नियम, 1985 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की नारीस को प्रवृत्त होंगे।
- 2. केन्द्रीय मिविल सेवा (वर्गीकरण नियंवण और अगिल) नियम. 1965 की अनुसूची में. भाग II में, स्तम्भ 4 में निम्निलिखित संशोधन किये जायेंगे, अर्थात :--
  - (1) कम संख्या, 1, 2, 3, 3क और 1 के सामने मद(१०) के सामने विद्यमान प्रथिष्टियों के स्थान पर निस्नलिखित प्रथिष्टियां रखी आयेंगी, अर्थात :--
  - "(इ) रक्षा मंत्रालय (वित्त विभाग)

विन सलाहकार रक्षा सेवा"

(2) भाग III में, क्रम संख्या 1 और 1क के सामने, स्तम 4.5 और 6 में मद (ख) के सामने विद्यमान प्रविध्दियों के स्थान पर, निम्निलिखिस प्रविध्दियों रखी जायेगी, अर्थात:--

"रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग)

उप वित्त मलाहकार (1) से (4)

वित्त सलाहकार एका सेवा"।

[मंन्या 11012/5/85-स्या॰ (ए)]

अ० जयरामन, निदेणक

## MINISTRY OF PERSONNEL & TRAINING. ADMINISTRATIVE REFORMS AND PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION

## (Department of Personnel & Training)

New Delhi, the 29th July, 1985

- S.O 746.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, namely :—
  - 1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1985.
    - (2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, in Part II, the following amendments shall be made in column 4, namely:—
  - (i) against Sl. Nos. 1, 2, 3-3A and 4, for the existing entries against item (e), the following entries shall be substituted, namely:—

    "(e) Ministry of Defence (Finance Division) Financial Advisor Defence Services";
  - (ii) in Part III, against S. Nos. 1 and [A, in columns 4, 5, and 6 for the existing entries against item (b), the following entries shall be substituted namely:—

	مستقصيت برسيس بالمستوين مستوين بالمستوين	
4	5	6
	<del>مناه ومان هر بناه ومناسل بران المناسل مناه والمناسل بالمناسل بالمناسل بالمناسل بالمناسلة المناسلة ال</del>	
"Ministry of Defence	Deputy Financial	Financial Advisor
(Finance Division)	Adviser (i) to (iv)	Defence Services"

[No. 11012/5/85-Estt (A)]
A. JAYARAMAN, Director